

प्रेषक,

उमेश कुमार ,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

महानिबन्धक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

न्याय अनुभाग-9 बजट

लखनऊ दिनांक 27 मार्च, 2018

विषय -जनपद न्यायालय कानपुर नगर तथा बाराबंकी में न्यायालय भवन के मरम्मत कार्य हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 34/2017/443/सात-न्याय-9(बजट)-2015-800(6)/2017, दिनांक 22-03-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करे, जिसके माध्यम से जनपद न्यायालय कानपुर नगर तथा बाराबंकी में न्यायालय भवन के मरम्मत हेतु आगणन क्रमशः ₹0195.87 लाख तथा ₹0173.57 लाख पर प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ ₹020.00 लाख एवं ₹050.00 लाख की स्वीकृति निर्गत की गयी है ।

2- तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद न्यायालय कानपुर नगर में न्यायालय भवन के मरम्मत हेतु अनुमोदित लागत ₹0195.87 लाख के सापेक्ष पूर्व स्वीकृत धनराशि ₹020.00 लाख को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि ₹0175.87 लाख के सापेक्ष ₹0133.43 लाख तथा जनपद न्यायालय बाराबंकी में न्यायालय भवनों के मरम्मत कार्य हेतु अनुमोदित लागत ₹0173.57 लाख के सापेक्ष पूर्व स्वीकृत धनराशि ₹050.00 लाख को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि ₹0123.57 लाख अर्थात् कुल ₹0257.00 लाख (रूपये दो करोड़ सत्तावन लाख मात्र) निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु स्वीकृत किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- 1- चूंकि जनपद न्यायालय कानपुर नगर के मरम्मत कार्य हेतु उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 ,तथा जनपद न्यायालय बाराबंकी के न्यायालय भवनों के मरम्मत कार्य हेतु यूपी0आर0एन0एस0एस0 कार्यदायी संस्था नामित है, अतः उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित करके जनपद कानपुर हेतु परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 यूनिट-10 कानपुर तथा जनपद बाराबंकी हेतु अधिशासी अभियन्ता यूपी0आर0एन0एस0एस0 निर्माण प्रखण्ड-2 लखनऊ को उपलब्ध कराने हेतु निबन्धक उच्च न्यायालय लखनऊ बैंच लखनऊ को अधिकृत किया जाता है।
- 2- धनराशि का उपयोग दिनांक 31-03-2018 तक कर लिया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि बैंकखाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी ।
- 3- लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को नियमानुसार उपलब्ध कराई जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

- 4- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
 - 5- शासनादेश संख्या- 34/2017/443/सात-न्याय-9(बजट)-2015-800(6) /2017, दिनांक 22-03-2017 की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे ।
 - 6- प्रश्नगत कार्य के सम्बन्ध में प्रदेश का राजकोषीय प्रबन्धन विषयक वित्त आय व्ययक अनुभाग 2 के शासनादेश सं० बी 2-171 / दस - 2008- 244- 5/2008, दिनांक 21 जनवरी ,2010 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए निर्माण एजेन्सी/ सम्बन्धित उत्तरदायी होंगे।
- 3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में अनुदान सं०-42 के अधीन लेखाशीर्षक " 2014- न्याय प्रशासन- 00 -800-अन्य व्यय -00- 05-विभागीय भवनों के अनुरक्षण हेतु प्राविधान -29- अनुरक्षण " के नामे डाला जायेगा ।
- 4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/ बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त,2017 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारो के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(उमेश कुमार)
प्रमुख सचिव

सं०- 45 /2018/266(1)/सात-न्याय-9(बजट)-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) रिपोर्ट लेखा अनुभाग 30प्र० इलाहाबाद।
- 2- निबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ ।
- 3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ मा० उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच के माध्यम से ।
- 5- जनपद न्यायाधीश, कानपुर नगर / बाराबंकी ।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, 30प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि०, तथा यू०पी०आर०एन०एस०एस० लखनऊ ।
- 7- परियोजना प्रबन्धक, 30प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि० यूनिट-10 कानपुर ।
- 8- अधिशासी अभियन्ता, यू०पी०आर०एन०एस०एस० निर्माण प्रखण्ड-2 लखनऊ ।
- 8- वित्त ई-12 ।
- 9- सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/ गार्डबुक न्याय-9 (बजट) ।

आज्ञा से,

(राजेश पति त्रिपाठी)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

<http://shasanadesh.up.nic.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।